मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम, 1980

विषय सूची

1. विनियम 1
2. विनियम 2
3. विनियम 3
4. विनियम 4
5. विनियम 5
6. विनियम 6
7. विनियम 7
8. विनियम 8
9. विनियम 9
10. विनियम 10

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम, 1980

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 1980

क्र. 1 (ए) 7-80-अ ग्यारह, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

विनियम

1. ये विनियम मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियम, 1980 कहलायेंगे.

2. इन विनियमों में, अब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978),

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, बोर्ड का अध्यक्ष

(घ) "जिला समिति" से अभिप्रेत हैं, धारा 12-क की उपधारा (1) के अधीन गठित की गई जिला समिति,

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा,

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बोर्ड का सदस्य.

3. अध्यक्ष बोर्ड का कार्य करने हेतु उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए मध्यप्रदेश सरकार के "क" श्रेणी के कर्मचारी को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा.

(2) बोर्ड या किसी समिति के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए बोर्ड के सदस्य ऐसी दरों पर दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे जो कि मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी सदस्य को मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अनुज्ञेय है और वे बोर्ड या समिति के किसी सम्मेलन में उपस्थित होने के लिये या बोर्ड का कोई अन्य कार्य करने हेतु की गई यात्रा के लिए मध्यप्रदेश सरकार के "क" श्रेणी कर्मचारी को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता पाने के भी हकदार होंगे.

4. निम्नलिखित नियम बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे राज्य सरकार की सेवा में तत्समान श्रेणी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लागू होते हैं, अर्थात् :--

(1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1977

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965,

(3) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस मेडिकल (मेडिकल अटेण्डेन्ट्स) रूल्स, 1958,

(4) यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता मंजूर करने संबंधी नियम.

(5) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (जनरल कण्डीशन्स आफ सर्विस) रूल्स, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नीचे विनिर्दिष्ट किए गए उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, अर्थात् :-

क. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (जनरल कण्डीशन्स आफ सर्विस) रूल्स 1961 में,

(एक) नियम 2 में –

(खण्ड) (क) में – "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा भर्ती नियम 1978 के नियम 2 के खण्ड (क) के अर्थ के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी.

(दो) खण्ड (ग) में "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड.

(तीन) खण्ड (ड.) में "पद" से अभिप्रेत है बोर्ड के अधीन पूर्णकालिक नियोजन किन्तु उसमें ऐसा नियोजन सम्मिलित नहीं है जहां कर्मचारी को आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता हो.

ख. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में –

(एक) नियम 2 में –

खण्ड (क) में –नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा भर्ती नियम, 1978 के नियम 2 के खण्ड (क) के अर्थ अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी,

(दो) खण्ड (घ) में- "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो बोर्ड के किसी कर्मचारी पर नियम 10 में विहित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो.

(तीन) खण्ड (ड.) में- "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(चार) खंड (च) में –"सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है बोर्ड का कर्मचारी,

(पांच) खंड (छ) में –"विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है प्रबंध संचालक.

6. मध्यप्रदेश फायनेंशियल कोड तथा मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड के उपबंध अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित लेखा पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों को बनाये रखने के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

7. (1) बोर्ड के ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भिन्न हो, अधिवार्षिकी आयु 58 वर्ष की होगी. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष की होगी.

(2) खंड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां बोर्ड अपने हित में ऐसा करना आवश्यक समझे वहां वह बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, कर्तव्यों निर्वहन के लिए उसकी शारीरिक योग्यता तथा उपयुक्तता के अध्यधीन रहते हुए, 58 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में वृद्धि कर सकेगा.

8. बोर्ड के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने छः मास की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो 18 तथा 58 वर्ष के बीच की आयु के हो सिवाय उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिनकी अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष की है, उस समूह बीमा योजना (ग्रुप इन्शोरेंस स्कीम) के अधीन आएंगे जो मृत्यु प्रसुविधा के रूप में प्रति कर्मचारी 10,000 रूपये का उपबंध करती है तथा यह राशि ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के नाम निर्देशित या उसके विधिक वारिसों को उस समय देय होगी जबकि ऐसे कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय. चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी का मासिक प्रीमियम 5 रूपये होगा तथा अन्य कर्मचारियों के लिए वह 10 रूपये प्रतिमास होगा और यह रकम उनके वेतन से प्रत्येक मास काटी जाएगी, इस प्रकार काटी गई रकम में से चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए 0.445 रूपए तथा अन्य प्रत्येक कर्मचारी के लिए 1.7 रूपये या ऐसी रकम जो कि जीवन बीमा निगम के परामर्शों के बाद में अवधारित की जाय, मासिक प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम, 19, महात्मा गांधी रोड, पोस्ट बाक्स नम्बर 130 इन्दौर-1, को भेजी जायेगी.

9. बोर्ड का प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी जबकि वह कार्य में हो, खादी से बनी वर्दी पहनेगा तथा ग्रामोद्योग द्वारा उक्त वस्तुओं का कार्यालय में यथासंभव उपयोग करेगा.

10. प्रत्येक जिला समिति निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुप्रयोग करेगी:-

(1) जिला समिति की बैठक दो मास में कम से कम एक बार होगी. अनुमोदित ग्रामीण उद्योगों की नई इकाइ की स्थापना के लिए मामले विहित पद्धति के अनुसार जिला निरिक्षक द्वारा तैयार किए जायेंगे और सूक्षम जांच के लिए तथा बोर्ड द्वारा आवंटित निधियों में से संबंधित के लिए समिति के समक्ष रखे जायेंगे मंजूरी के पश्चानत बोर्ड

द्वारा विहित की गई औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर मंजूर किये गये अनुदान उधार कारीगर को प्रदान करने हेतु ग्रामोद्योग द्वारा सौंपा जायेगा.

(2) बोर्ड द्वारा आवंटित निधियों राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक में रखी जायेंगे. कोई सवितरण उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह समिति द्वारा मंजूर किया गया हो. जिला समिति द्वारा मंजूर किए जाने के पश्चात् रकम सौंपी जावेगी और जिला निरीक्षक संबंधित व्यक्तिश: कारीगर के संयुक्त खाते में रखी जावेगी प्रथम किश्त जिला निरीक्षक द्वारा संबंधित कारीगर को उधार की रकम से उपकरण आदि क्रय करने के पश्चात् सौंपी जाएगी और पश्चातवर्ती किश्तें उसका (जिला निरीक्षक का) यह समाधान होने के पश्चात कि प्रदत्त् किश्त का उचित रूप से उपयोग किया गया है, प्रदान जायेंगी .

(3) जिला निरीक्षक एक रजिस्टर भी रखेगा जिसमें जिला समिति के सामने रखे गये मामलों के ब्यौरे तथा उक्त तारीखें और उन पर किए गए विनिश्चय और वह तारीख जिनकों कि जिला निरीक्षक द्वारा बोर्ड को उपयोगीक्ता प्रमाण-पत्र भेजा गया था दर्शाई जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

देवचरण सिंह, उपसचिव